[illegible]
भरतपुर
2.लक्ष्मन पुत्र श्री सरदारसिंह जाति माली निवासी कोठी कुआ कुण्डा रोड भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर
3.महेन्द्र पुत्र श्री सरदारसिंह जाति माली निवासी कोठी कुआ कुण्डा रोड भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर

............प्रार्थीगण

बनाम

1.अरविन्द कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी यू.के. बैंक के पास कस्वा भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर
2. आन्नद कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी यू.के. बैंक के पास कस्वा भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
अधिवक्ता –1.श्री महेश मीना प्रार्थीगण
2.श्री चन्द्रशेखर तिवारी अप्रार्थीगण

निर्णय–दिनांक 13.01.23

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निजूल गैरखातेदारी की आरांजी पुराने ख0 नं0 1707 व हाल खसरा नम्बर 1590/0.24, 2379/0.31, 2380/0.31, 2381/0.31, 2382/0.32 है0 किस्म चाही तृतीय कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकवा 1.4900 है0 वाके ग्राम भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर स्थित है कि जिसमें वादीगण सायलान के पिता श्री सरदारसिंह एवम् सरदारसिंह की मृत्यु दिनॉक 17.05.22 के पश्चात वादीगण सायलान काबिज होकर वहैसियत बतौर खातेदार काश्तकार निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकर नहीं है ना ही रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण सायलान की उक्त वर्णित खेती की जमीन पर नाजायज व अवैध तरीके से अतिक्रमण करने पर उतारू है एवम् वादीगण सायलान द्वारा कुछ जमीन पर बोई गई लाहे सरसों की जमीन एवम् नीबू के बगीचा पर लट्ठ के बल पर व झूठें मुकदमें लगाकर कब्जा करने पर उतारू है तथा इस हेतु उन्होने थाना पुलिस भुसावर से मिल्लत कर वादीगण पर लगातार दबाब तंग व परेशान कर रहे हैं।

प्रतिवादीगण ने अपने दक्त नाजायज उद्देश्य की पूर्ति हेतु थाना पुलिस भुसावर से मिल्लत कर वादीगण को गिरफ्तार करने की धमकियां लगाकर दिला रहा है तथा कोई झूंठा एवम् फर्जी इकरारनामा सन् 1996 का वादीगण के पिता के नाम के अंगूठे आदि लगाकर कूटरचित कर पुलिस आदि में झूंठे एवम् फर्जी मुकदमा लगाकर वादीगण की सरसों व नीबू के बगीचे को उजाडने की लगातार धमकियां दे रहे हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार बावत् निवेदन किया गया है गैर सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

पत्र पेश किया है, जो निराधार होने की वजह से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद 3 जिस प्रकार वर्णित की गई है गलत व अस्वीकार है प्रतिवादी गैरसायलान की खरीदशुदा आराजी हुई गेंहू की फसल को दिनांक 13.11.2022 को रात को जोतकर नष्ट कर दिया जिसका मुकदमा दीगण गैरसायलान संख्या 1 द्वारा वादीगण सायलान के विरूद्ध मुकदमा 697/2022 थाना भुसावर पर कराया है जिससे बचने के लिए व प्रतिवादी गैरसायलान की खरीदशुदा आराजी को जबरन हडपने के से वादीगण सायलान द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो निराधार के कारण खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित की गई है व अस्वीकार है प्रतिवादी गैरसायलान द्वारा अपने खरीदशुदा हिस्से में इनके द्वारा गेंहू की फसल देने के पश्चात पुनः गेंहू बोये हैं जो मौके पर सरसब्ज खड़े हुए हैं जिसमें नींबू व सरसों की फसल है। इसलिए इनको धमकी दिए जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण सायलान द्वारा तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा पेश किया है। जो खारिज किए जाने योग्य है। पत्र मद संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित की गई है गलत है व अस्वीकार है प्रतिवादीगण गैरसायलान अपने खरीदशुदा हिस्से में गेंहू की फसल बोई हुई है जो मौके पर खडी हुई है इसलिए इनको धमकी जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा गलत तथ्यों के आधार पर वादीगण सायलान द्वारा दीगण गैरसायलान द्वारा तंग व परेशान करने की नीयत से दावा व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमानजी क्ष पेश किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार वर्णित की गई है व अस्वीकार है प्रथम मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण सायलान के पक्ष में न होकर प्रतिवादीगण गैरसायलान के पक्ष ी साबित है।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता गण की सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दौहराया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जैसे प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण) अरविंद वगै. दिनांक 28.11.06 बावत् कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी बावत् तहसीलदार प्रस्तुत पत्रांक/TRA/07/1159 दिनांक 02.02.07 जो उपखण्ड अधिकारी महोदय वैर के नाम है उसमें ख0न0 1707 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के हिस्सा 1/4 पर श्री अरविंद कुमार काबिज काश्त बताया है। चूंकि उक्त भूमि गैरखातेदार के हैसियत से दर्ज है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का 1/4 जरिए इकरारनामा खरीद करने बावत् छायाप्रति के माध्यम से अवगत कराया गया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड के आधार पर साबित होता है कि उक्त गैरखातेदारी भूमि पर प्रार्थी का पूर्ण रूप से कब्जा नहीं है एवं कुछ भूमि का किया जा चुका है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व–जारी शुदा स्थगन दिनांक 22 न्यायालय हाजा निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर(भरतपुर)